

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, शिवाजी वार्ड, तिली रोड, सागर (म.प्र.) - 470001

प्री-बिड बैठक दिनांक 05.11.2019 का निराकरण

शासकीय बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर के चिकित्सालय में भर्ती मरीजों की भोजन व्यवस्था हेतु आमंत्रित खुली निविदा की प्री-बिड बैठक में निविदा से संबंधित पूछ-ताछ / सुझाव / आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार है:-

स.क.	निविदा की शर्त	पूछ-ताछ / सुझाव / आपत्ति	निराकरण / संशोधन
1	शर्त क्रमांक 15 (i) अग्रिम राशि माह की 5 तारीख तक जमा न करने पर कुल राशि का 2 प्रतिशत अतिरिक्त जमा करना होगा।	क्या महाविद्यालय द्वारा देयकों के भुगतान में विलंब की स्थिती में भी यही प्रावधान रहेगा?	शर्त क्रमांक 15 (i) अग्रिम राशि माह की 5 तारीख तक जमा करना होगा।
2	शर्त क्रमांक 15 (ii) सफल निविदादाता को चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को भोजन स्थल से वाई एवं पलंग तक स्वच्छ थाली में परोसकर प्रतिदिन शासन द्वारा निर्धारित डाइट (संलग्न सूची अनुसार) पकाकर एवं स्वच्छ थाली में परोसकर "दोनो समय", शासन द्वारा निर्धारित राशि (वर्तमान में राशि रु. 48.00 प्रतिदिन प्रति मरीज) में उपलब्ध कराना, प्रथम एवं अनिवार्य दायित्व होगा, गर्भवती महिलाओं के लिए शासन द्वारा निर्धारित स्पेशल डाइट, स्पेशल दर (वर्तमान में राशि रु. 80/- प्रतिदिन) पर प्रदाय की जाना होगी।	यदि भोजन थाली में परोसा जावेगा तो थालियां रखनी होंगी जिससे मैनपावर, समय एवं लागत बढ़ेगी। यदि डिस्पोजैबल थाली में परोसा जावेगा जिससे कचरा, गंदगी एवं खाने की बर्बादी होगी। थाली सिस्टम के स्थान पर ट्रेली सिस्टम किया जाना उचित होगा।	थाली सिस्टम के स्थान पर ट्रेली सिस्टम किया जाता है।
3	परिशिष्ट 1 शर्त क्रमांक 5- निविदादाता फर्म को तीन वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का प्रतिवर्ष न्यूनतम 50 लाख का टर्नओवर सर्टिफिकेट सी.ए.द्वारा प्रमाणित	एसी स्थिती में नयी फर्म जो इस शर्त को पूरा नहीं कर सकती वे भाग नहीं ले पायेंगी। टर्नओवर कम किया जावे ताकि नयी फर्म को भी समान अवसर मिले।	निविदादाता फर्म को तीन वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का प्रतिवर्ष न्यूनतम 40 लाख का टर्नओवर सर्टिफिकेट सी.ए.द्वारा प्रमाणित
4	परिशिष्ट 1 शर्त क्रमांक 9 ग - संस्थानों से प्राप्त निरंतर एक वर्ष का भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र (बैंक स्टेटमेंट अथवा पासबुक की छायाप्रति जिसमें भुगतान संबंधी प्रविष्टियां इंडाज की गई हों)	जिस फर्म को संस्था द्वारा भुगतान नकद में होता हो वह भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र में क्या प्रस्तुत करेंगी?	कोई संशोधन नहीं

शर्त क्रमांक 15 (XIX) निविदाकार के द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा तथा संबंधित समस्त भुगतानों की जिम्मेदार निविदादाता की होगी। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिनियम, श्रम कानून अथवा अन्य कानून जो भी लागू होंगे उन्हें अनिवार्य रूप से पालन करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

न्यूनतम वेतन अधिनियम	श्रम अधिनियम	सेवा कर अधिनियम	वर्कमेन कम्पेनसेशन अधिनियम
वेतन एवं बोनास एक्ट	ई.एस. आई.एस. एवं ई.पी. एक. अधिनियम	इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट	कर्मचारी सुरक्षा अधिनियम

उपरोक्त अधिनियम / कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन जहाँ कराया जाना है स्वयं के व्यय पर रजिस्ट्रेशन किया जाये तथा कार्यादेश जारी होने के एक माह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराकर शपथ पत्र दिया जाना आवश्यक है।

ई.एस.आई.सी. एवं ई.पी.एफ. का रजिस्ट्रेशन तकनीकी विड में अनिवार्य किया जाना चाहिये।

संबंधित रजिस्ट्रेशन का निविदा की शर्तों में समावेश है। संबंधित अधिनियम / कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन जहाँ कराया जाना है स्वयं के व्यय पर रजिस्ट्रेशन किया जाये तथा कार्यादेश जारी होने के एक माह के अंदर रजिस्ट्रेशन कराकर रजिस्ट्रेशन एवं शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य है।



डॉ रमेश पाण्डेय (अध्यक्ष)

प्रा.मेडिसिन विभाग

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर

(अध्यक्ष)

डॉ राजेश मौर्य (सदस्य)

स्टोर प्रभारी

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर

प्रशासकीय अधिकारी, वित्त

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर

डॉ श्रद्धा मिश्रा (सदस्य)


सह प्रा.पी.एस.एम. विभाग

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर

डॉ एस.पी.सिंह (सदस्य)

(कैटीन प्रभारी)

बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर



DEAN
Bundelkhand Medical College
Sagar (M.P.)